भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3145

जिसका उत्तर 20.08.2025 को दिया जाना है

निर्माण की निम्न गुणवत्ता के कारण सार्वजनिक अवसंरचना को नुकसान

3145 श्री मल्लिकार्जुन खरगेः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों में पुलों, सड़कों आदि के निर्माण की निम्न गुणवत्ता के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों को हुए नुकसान का, वित्तीय अनुमान सहित वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रकार के निर्माण की निम्न गुणवत्ता के कारण कितनी जानें गईं हैं और कितने लोगों के घायल होने की जानकारी रिपोर्ट की गई है;

(ग) क्या पर्यवेक्षण और निगरानी में हुई चूकों की जांच की गई है जिसके कारण ऐसे नुकसान हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो निष्कर्ष और सिफारिशें सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे नुकसान के लिए जिम्मेदार ठेकेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) पर्यवेक्षण को मजबूत करने, जवाबदेही सुनिश्चित करने और ऐसे समस्याओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या प्रस्तावित किए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ड.) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की निष्पादन एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान खराब कार्यों (पुलों, पुलियों आदि जैसी संरचनाओं सहित) के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के 53 परियोजनाओं/खंडों को हुए नुकसान की रिपोर्ट की गई है; राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार (यूटी)-वार विवरण और की गई कार्रवाई का विवरण संलग्न है। कमियों/नुकसान के उपरोक्त मामलों में अनुबंध/रियायत समझौते के प्रावधानों के अनुसार चूक करने वाली एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जैसे अनुबंध समझौते को समाप्त करना, जुर्माना/निर्धारित नुकसान वसूलना, निषेध/काली सूची में डालना, गैर-निष्पादक घोषित करना आदि। उन मामलों को छोड़कर जहां अनुबंध समझौता समाप्त कर दिया गया है, क्षति की मरम्मत या पुनर्निर्माण के लिए सुधारात्मक कार्य अपनी लागत से करना ठेकेदार/रियायतग्राही की जिम्मेदारी है ।

यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) का निर्माण भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) विनिर्देशों और संहिताओं में निर्दिष्ट निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार किया जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि राजमार्ग निर्माण निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन करता है, कार्यस्थल पर कार्यों के दैनिक पर्यवेक्षण के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा परामर्शदाता (प्राधिकरण के इंजीनियर/स्वतंत्र इंजीनियर- एई/आईई) नियुक्त किए जाते हैं। कार्यान्वयन एजेंसियों के अधिकारी समय-समय पर निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रियायतग्राही/ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

सभी राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे कार्यों के लिए नेटवर्क सर्वेक्षण वाहन (एनएसवी) के माध्यम से सड़क की स्थिति का आकलन कार्य पूरा होने के समय और उसके बाद हर छह महीने में अनिवार्य कर दिया गया है, जिसकी निगरानी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाती है। समर्पित केंद्रीय प्रकोष्ठ (सेल) के माध्यम से संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) के दौरान संविदात्मक प्रावधानों के प्रवर्तन हेतु विश्लेषण का उपयोग करके सड़क की स्थिति के आकलन हेतु एनएसवी प्रणाली को नया रूप दिया गया है।

यदि कोई कमियाँ पाई जाती हैं, तो उन्हें अनुबंध/रियायत करार की तकनीकी अनुसूचियों में निर्धारित आवश्यक सुधारात्मक/उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए रियायतग्राहियों/ठेकेदारों के ध्यान में लाया जाता है या निष्पादन एजेंसी/एई/आईई द्वारा तय की गई उचित अवधि के भीतर।

सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों के कार्यान्वयन में गुणवत्ता नियंत्रण प्रणालियों में सुधार के लिए निम्नलिखित पहल की हैं: -

i. राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में स्वचालित और कुशल/मशीन-सहायता प्राप्त निर्माण (एआई-एमसी) को अपनाना;

ii. राजमार्ग दोषों की निगरानी और सुधार के लिए एनएचएआई वन ऐप नामक एक केंद्रीकृत प्रणाली का संचालन, जो तस्वीरों के साथ दोषों की जियो-टैगिंग को सक्षम बनाता है;

iii. समय-समय पर चल रहे राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता के आवधिक मूल्यांकन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के साथ एकीकृत ड्रोन एनालिटिक्स मॉनिटरिंग सिस्टम (डीएएमएस) में ड्रोन सर्वेक्षणों से एकत्रित हाय-रिज़ॉल्यूशन इमेजरी का विश्लेषण;

iv. परियोजना कार्यान्वयन चरणों के दौरान समय-समय पर कार्यों की समग्र स्थिति और गुणवत्ता के नैदानिक आकलन हेतु चार राज्यों अर्थात् गुजरात, राजस्थान, ओडिशा और कर्नाटक में पायलट आधार पर गैर-विनाशकारी परीक्षण उपकरणों से सुसज्जित मोबाइल गुणवत्ता नियंत्रण वैन (एमक्यूसीवी) की तैनाती;

v. मामला-दर-मामला आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों के स्वतंत्र गुणवत्ता लेखापरीक्षण के लिए तृतीय पक्ष गुणवत्ता लेखा परीक्षकों की तैनाती।

किसी भी चूक की स्थिति में अनुबंध/रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार चूककर्ता एजेंसियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है, जैसे अनुबंध करार को समाप्त करना, जुर्माना/परिसमाप्त क्षतिपूर्ति लगाना, निषेध/काली सूची में डालना, गैर-निष्पादक घोषित करना आदि।

अनुलग्नक

"निर्माण की निम्न गुणवत्ता के कारण सार्वजनिक अवसंरचना को नुकसान" के संबंध में श्री मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा दिनांक 20.08.2025 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3145 के भाग (क) सं (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान खराब कार्यों (पुलों, पुलियों आदि जैसी संरचनाओं सहित) के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) को हुए नुकसान का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण-

राज्य	क्र. सं.	एनएच सं.	घटना का वर्ष	प्रमुख क्षतियों/दोषों का विवरण	की गई कार्रवाई
अरुणाचल प्रदेश	1	एनएच-713ए और एनएच-13	2024	आर.ई. वॉल ढह गई	संविदाकार द्वारा शुरू किए गए दोषपूर्ण कार्य का सुधार। संविदाकार पर अनुबंध मूल्य का 5% जुर्माना
आंध्र प्रदेश	2	एनएच-16	2024	आर.ई. वॉल के निर्माण में दोष।	रियायतग्राही ने आर.ई. वॉल विशेषज्ञ की सिफारिश/सुझाव के आधार पर सुधार कार्य शुरू किया। रियायतग्राही से क्षतिपूर्ति के रूप में 10,99,235 /- रुपये वसूल किए गए।
बिहार	3	एनएच-31	2023	सीआरआरआई द्वारा किमी 264.946 पर पुल के सुपरस्ट्रक्चर के कंक्रीट की गुणवत्ता में रिपोर्ट की गई समस्याएं	सीआरआरआई रिपोर्ट में सिफारिश के अनुसार संविदाकार द्वारा मरम्मत कार्य शुरू किया गया
छत्तीसगढ	4	एनएच-130	2024	सीमेंट कंक्रीट पैनलों में दरारें	ईपीसी संविदाकार के जोखिम और लागत पर पैनल सुधार के लिए कार्रवाई की गई।
	5	एनएच-130	2022	सीमेंट कंक्रीट पैनल और किमी. 91, 96, 101, 102 और 106 पर आर.ई. वॉल में दरारें उभरी	ईपीसी संविदाकार ने साइट पर सुधार कार्य शुरू कर दिया है।
हिमाचल प्रदेश	6	एनएच-22 (नया एनएच-05)	2022	एनएच 05 के परवाणू-सोलन खंड के परियोजना राजमार्ग (सुरंग तक पहुंच मार्ग) के दो-लेन हिस्से पर किमी 3.130 से 3.170 के बीच का सड़क खंड ढहा	ईपीसी संविदाकार द्वारा जीर्णोद्धार कार्य पूरा कर लिया गया है
हरियाणा	7	दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेसवे-	2024	वाहन के पहिए के गड्ढे (रटिंग)	प्राधिकरण ने विलंबित अनुरक्षण के लिए संविदाकार पर 48,61,243

राज्य	क्र. सं.	एनएच सं.	घटना का वर्ष	प्रमुख क्षतियों/दोषों का विवरण	की गई कार्रवाई
		एनई-4			रुपये की राशि का हर्जाना लगाया है; अधिकांश गड्ढेदार हिस्से को संविदाकार द्वारा ठीक कर दिया गया है।
	8	दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेसवे-एनई-4	2024	रटिंग	प्राधिकरण ने विलंबित अनुरक्षण के लिए संविदाकार पर 42,95,049 रुपये की राशि का हर्जाना लगाया है; अधिकांश गड्ढेदार हिस्से को संविदाकार द्वारा ठीक कर दिया गया है।
गुजरात	9	एनएच–754के	2025	जून माह 2025 में बारिश के बाद गड्ढे, दरारें और सतह विरूपण/समस्या देखी गई, कुछ स्थानों पर गहरी रटिंग हो गई	संविदाकार पर 2.8 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है तथा इसके साथ ही एक वर्ष तक या सफल सुधार होने तक, जो भी बाद में हो, उस पर रोक लगाने की सिफारिश की गई है।
झारखंड	10	एनएच 75	2022	टूटे हुए पीक्यूसी पैनल	दोषों का सुधार न करने के कारण 11.79 करोड़ रुपये की निष्पादन बैंक गारंटी का नकदीकरण
कर्नाटक	11	एनएच 63	2020	पीक्यूसी में 8.30 किमी तक दरारें बन गई हैं।	मूल अनुबंध समाप्त कर दिया गया। नया ईपीसी संविदाकार शेष कार्य कार्यान्वित कर रहा है।
	12	एनएच 63	2022	पीक्यूसी फुटपाथ पर दरारें और फुटपाथ पर अनुदैर्ध्य जोड़ों का चौड़ा होना	संविदाकार ने क्षति की मरम्मत के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।
केरल	13	एनएच-66	2022 और 2025	दिनांक 16.06.2025 को चैनेज 58+035 से चैनेज 58+100 (आरएचएस) पर सॉइल नेलिंग ढह गई, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ।	एनएचएआई ने रियायतग्राही और उसके प्रमोटर को एक महीने की अवधि के लिए या रियायतग्राही द्वारा ढलान संरक्षण कार्यों में सुधार शुरू करने तक भविष्य में बोली लगाने से निलंबित कर दिया है। रियायतग्राही को निषेध नोटिस भी जारी किया गया है। एई के वरिष्ठ पुल अभियंता को साइट से हटा दिया गया है।
	14	एनएच-66	2025	कटे हुए भाग में असुरक्षित मिट्टी का खिसकना तथा कैरिजवे पर	सुधार कार्य किया गया और मध्य भाग में एहतियाती बैरिकेडिंग के साथ

राज्य	क्र. सं.	एनएच सं.	घटना का वर्ष	प्रमुख क्षतियों/दोषों का विवरण	की गई कार्रवाई
				मलबा जमा होना।	यातायात बहाल कर दिया गया।
	15	एनएच 66	2020	01 पुल (4 गर्डर ढह गए)	संविदाकार पर 1.00 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया और संविदाकार को एक वर्ष की अवधि के लिए निविदा में भाग लेने से रोक दिया गया। प्राधिकरण के इंजीनियर पर 20.00 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। 2. एई के टीम लीडर और ब्रिज इंजीनियर को 2 वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। 3. संविदाकार के प्रोजेक्ट मैनेजर को परियोजना से हटा दिया गया।
	16	एनएच-66	2025	आरई वॉल ढह गई	संविदाकार और स्वतंत्र इंजीनियरिंग फर्म को 01 महीने की अवधि के लिए या विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच पूरी होने तक, जो भी बाद में हो, चल रही/भविष्य की बोली में भाग लेने से रोक दिया
	17	एनएच-66	2025	निर्माण के दौरान 4 गर्डरों का ढहना	एनएचएआई ने 15.35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। ब्रिज इंजीनियर और एई के टीम लीडर को बर्खास्त कर दिया गया।
	18	एनएच-66	2025	किमी.चैनेज 497+370 (आरएचएस) पर छोटे पुल (निर्माणाधीन) के मचान का टूटना/गिरना	रियायतग्राही पर 9.55 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया
महाराष्ट्र	19	एनएच-06 (नया एनएच-53)	2022	चैनेज 547.344 पर प्रमुख पुल के स्लैब में क्षति देखी गई	संरचना का लेखापरीक्षण वीएनआईटी नागपुर द्वारा किया गया। वीएनआईटी, नागपुर की सिफारिश के अनुसार, संविदाकार ने स्लैब का पुनर्निर्माण कार्य शुरू कर दिया है।
	20	एनएच-66	2024	पैनल में दरार, खराब सवारी गुणवत्ता, धक्के (बम्स), खराब मोड़ आदि।	संविदाकार ने सुधार कार्य शुरू कर दिया है।

राज्य	क्र. सं.	एनएच सं.	घटना का वर्ष	प्रमुख क्षतियों/दोषों का विवरण	की गई कार्रवाई
	21	एनएच-753एल	2020	टूटे हुए पैनल	संविदाकार ने क्षति की मरम्मत के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। डीएलपी अवधि छह महीने के लिए बढ़ा दी गई है।
	22	एनएच-752जी	2021	टूटे हुए पैनल	संविदाकार ने क्षति की मरम्मत के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।
	23	एनएच 548 सी	2024	टूटे हुए पैनल	संविदाकार की निष्पादन गारंटी जब्त कर ली गई है। क्षति की क्षतिपूर्ति हेतु प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
	24	एनएच-161ए	2024	टूटे हुए पैनल	संविदाकार ने क्षति की मरम्मत के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।
	25	एनएच 753एफ	2024	टूटे हुए पैनल	संविदाकार ने क्षति की मरम्मत के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।
	26	एनएच-752के	2021	टूटे हुए पैनल	संविदाकार ने पैनल प्रतिस्थापन/सुधार कार्य निष्पादित कर दिया है।
	27	एनएच 753	2022	टूटे हुए पैनल	संविदाकार ने क्षति की मरम्मत के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।
	28	एनएच 17	2025	पीक्यूसी में धसाव और दरारें	संविदाकार ने क्षति की मरम्मत के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।
	29	एनएच-66 (पुराना एनएच17)	2024	पीक्यूसी दरारें और धसाव।	संविदाकार ने टूटे हुए पैनलों को बदल दिया है।
	30	एनएच-66	2024	पीक्यूसी में पूर्ण गहराई वाली दरारें	संविदाकार ने क्षति की मरम्मत के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।
	31	एनएच-166जी	2025	पीक्यूसी में दरारें	संविदाकार ने क्षति की मरम्मत के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।
	32	एनएच 266	2024	टूटे हुए पैनल	क्षति की क्षतिपूर्ति संविदाकार के जोखिम और लागत पर की जाएगी।
	33	एनएच 753	2024	निर्माण के बाद कठोर फुटपाथ में दोष देखे जाते हैं, जैसे अनुदैर्ध्य और पार्श्व दरारें बनना, केंद्रीय जोड़ों का खुलना, पैनलों का धसाव आदि।	आईआईटी बॉम्बे को दोषों की तकनीकी जांच और सुधारात्मक उपायों के सुझाव देने के लिए नियुक्त किया गया है।
राजस्थान	34	दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे	2024	रटिंग और धसाव	अनुबंध समझौते के प्रावधान के अनुसार निर्धारित समय सीमा में दोषों

राज्य	क्र. सं.	एनएच सं.	घटना का वर्ष	प्रमुख क्षतियों/दोषों का विवरण	की गई कार्रवाई
		एनई-4			को ठीक न करने पर प्रत्येक संविदाकार पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया
	35	दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे एनई-4	2024		
	36	दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे एनई-4	2024		
	37	दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे एनई-4	2024		
	38	एनएच-754के	2024	कुछ स्थानों पर धसाव पाया गया	संविदाकार पर 50.00 लाख रुपये का हर्जाना लगाया गया। (ii) सही पर्यवेक्षण न करने के कारण प्राधिकरण इंजीनियर टीम के दो प्रमुख कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया।
	39	दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे एनई-4	2024	रटिंग और पहुंच मार्गों का धसाव	विलंबित अनुरक्षण के लिए 1.06 करोड़ रुपये का हर्जाना लगाया गया। इसके अलावा, दोषों के स्थायी सुधार हेतु विस्तृत अध्ययन के लिए आईआईटी खड़गपुर को नियुक्त किया गया है।
	40	दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे एनई-4	2024	रटिंग, पहुंच मार्ग का धसाव और आर.ई. वॉल का उभार	विलंबित अनुरक्षण के लिए 88.32 लाख रुपये का हर्जाना लगाया गया है। सीआरआरआई के सुझावों के अनुसार, आरई वॉल के उभार को ठीक कर दिया गया है। अधिकांश रटिंग को ठीक कर दिया गया है। इसके अलावा, उपरोक्त के अलावा, दोषों के स्थायी सुधार हेतु विस्तृत अध्ययन के लिए आईआईटी खड़गपुर को नियुक्त किया गया है।
	41	एनएच-754के	2024	83 मीटर सिंगल स्पैन ट्रस ब्रिज के प्रक्षेपण के दौरान नोज़ संरचना की विफलता	संविदाकार पर 1.00 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया तथा भविष्य में ऐसी किसी भी घटना के लिए

राज्य	क्र. सं.	एनएच सं.	घटना का वर्ष	प्रमुख क्षतियों/दोषों का विवरण	की गई कार्रवाई
					निषेधात्मक कार्रवाई की चेतावनी जारी की गई। एनएचएआई कार्यों में फैब्रिकेशन टीम और डिजाइनर टीम को 02 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। प्राधिकरण अभियंता पर 20 लाख रुपये का जुर्माना तथा भविष्य में ऐसी किसी भी घटना के लिए निषेधात्मक कार्रवाई की चेतावनी। एनएचएआई के कार्यों में प्राधिकरण अभियंता द्वारा तैनात वरिष्ठ पुल अभियंता को 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया।
	42	एनएच-148एन	2024	खंड 30.11.2023 से संचालन में है और कुछ स्थानों पर संरचना के पहुंच मार्गों में धसाव पाया गया	ईपीसी संविदाकार ने क्षति को ठीक कर दिया है।
	43	एनएच 65	2024	निर्माण पूरा होने के बाद, खराब कारीगरी से हनिकॉबिंग के कारण आरओबी के डेक स्लैब में संरचनात्मक दोष देखे गए हैं।	अनुबंध समाप्त कर दिया गया है. संविदाकार को प्रतिबंधित कर दिया गया है। सुधार कार्यों के लिए निविदा आमंत्रित की गई है।
तेलंगाना	44	एनएच-161	2022	ओ एंड एम अवधि के दौरान परियोजना राजमार्ग में कुछ स्थानों पर रटिंग और ब्लीडिंग पाई गई।	रखरखाव दायित्वों के उल्लंघन के लिए 134.784 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।
उत्तर प्रदेश	45	लखनऊ रिंग रोड	2024	2.886 किमी लंबाई में पीक्यूसी पैनल में दरारें।	संविदाकार ने क्षति के सुधार के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है।
	46	एनएच 76	2020	कठोर फुटपाथ में दरारें	डीएलपी के दौरान पाए गए दोषों के सुधार तक दोष देयता अवधि बढ़ा दी गई है। आईक्यूए रिपोर्ट के आधार पर सुधार कार्य पूरा हो गया है।
	47	एनएच 76	2020	कठोर फुटपाथ में दरारें	डीएलपी के दौरान पाए गए दोषों के सुधार तक दोष देयता अवधि बढ़ा दी गई है। आईक्यूए रिपोर्ट के आधार पर

राज्य	क्र. सं.	एनएच सं.	घटना का वर्ष	प्रमुख क्षतियों/दोषों का विवरण	की गई कार्रवाई
					सुधार कार्य पूरा हो गया है।
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	48	एनएच 74	2023	पीक्यूसी पैनल में दरारें	संविदाकार ने क्षति के सुधार के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है।
उत्तराखंड	49	एनएच-134 (पुराना एनएच-94)	2023	निर्माणाधीन सिल्कयारा सुरंग में गुहा (केविटी) ढह गई।	ई.पी.सी. ठेकेदारों द्वारा अपने स्वयं के खर्च पर सुधार उपाय किए गए। जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई
पश्चिम बंगाल	50	एनएच-32	2025	नवनिर्मित पीक्यूसी में दरारें हो गई हैं।	i) संविदाकार द्वारा सुधार कार्य शुरू किया गया। संविदाकार के बिल से 20.00 लाख रुपये की राशि रोक ली गई। ii) एई के मुख्य कार्मिक को एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है।
	51	एनएच 6	2023	पीक्यूसी पैनलों में दरारें	ईपीसी संविदाकार के जोखिम और लागत पर मरम्मत की गई।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	52	एनएच 4	2024	विभिन्न स्थानों पर फुटपाथ का धंसना, समस्याएं।	सुधार कार्य पूरा हो गया।
	53	एनएच- 223 (नया एनएच-4)	2024	88+300 किमी पर बीडी नाला पर बने छोटे पुल के डेक स्लैब (एलएचएस) में छिद्रण तथा खराब कारीगरी सहित अन्य गुणवत्ता संबंधी समस्याएं।	ईपीसी संविदाकार ने सीआरआरआई-सीएसआईआर रिपोर्ट की सिफारिश के अनुसार स्लैब के प्रतिस्थापन सहित आवश्यक सुधार कार्य अपने खर्च पर किया है।
